न्यायालय उपखंड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

नं मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथी
78 / 2014	दावा 53 आर.टी.ए.	14.08.2014	28.05.2024

1. मनोहरखां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/1 इमरानखा पुत्र सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/2 इब्राहिमखां चायल पुत्र सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/3 खुशी मोहम्मद खान पुत्र सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/4 यूनस खान पुत्र सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/5 शाहरूख खान पुत्र सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/6 रूखसाना बानो पुत्री सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/7 नसरीन बानो पुत्री सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/8 रजिया बानो पुत्री सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

2/9 सरीफन बानो पत्नी सबीरखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

3. लियाकत खां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

–वादीगण

बनाम

1. गुलाम मौहम्मद पुत्र यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
2. हाकमअली पुत्र यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
3. गौस मौहम्मद पुत्र यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू

फौत 4. भंवरीबानो बेवा यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू

5. सहीदनबानो पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
6. परवीन पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
7. चिड़िया उर्फ बलके । पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

8. रहिशा पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
9. रजियाबानो पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
10. अखतरबानो पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
11. समीमबानो पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू
12. मदीना पुत्री यासीनखां जाति कायमखानी निवासी चूरू हाल निवासी पिथीसर तहसील वा जिला चूरू

फौत 13 सायराबानो बेवा हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

14. मुस्ताकखां पुत्र हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
15. सतारखां पुत्र हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

फौत 16. बानो पुत्री हासमअलीखां पत्नी लताफअलीखां जाति कायमखानी निवासीनी गांगीयासर जिला झूंझूनू

16/1 गफारखान पुत्र बानो पुत्री हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

फौत 17. धोली बानो पुत्री हासमअलीखां पत्नी लताफअलीखां जाति कायमखानी निवासीनी गांगीयासर जिला झूंझूनू

17/1 महबबूखां पुत्र धोली पुत्री हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

17/2 शहनाजबानो पुत्री धोली पुत्री हासमअलीखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

18. इस्लामखां पुत्र भंवरूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील चूरू

फौत 19. सतारखां पुत्र असरूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

19/1 मोहम्मद आरिफ दतक पुत्र सतारखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

19/2 ह ामत बानो पत्नी सतारखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

20. हाकमअलीखां पुत्र असरूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
21. आजमखां पुत्र असरूखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
22. आमीनखां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
23. राजस्थान सरका[illegible]
24. लखेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिह जाति रा[illegible]सी ग्राम दांदू तहसील चूरू
25. शाहरूक खान पु[illegible] चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]तिवादीगण

Ak

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता ऋशिराजसिंह भोखावत वादी
2. अधिवक्ता अरविन्द मिश्रा वास्ते प्रतिवादी सं 1
3. अधिवक्ता रघुनंदन सेानी प्रतिवादी सं 24 वा 25
4. पैरोकार राज

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार से है कि कृशि भूमि ख न 309/210 तादादी 41 बीघा 08 बिश्वा रोही ग्राम खारिया तहसील चूरू मे वादीगण एवं प्रतिवादी आमीनखां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू का 290.79 हिस्सा भूमि खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है तथा 123.21 हिस्सा भूमि अजीमखां वल्द अन्नूखां के खातेदारी की है तथा 414 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण अबरूखां के वारिसान एवं भंवरूखां के खातेदारी की है खातेदार अजीमखां का देहांत हेा चुका है अजीमखां के एक पुत्र यासीन खां हुआ उसका भी देहांत हेा चुका है तथा प्रतिवादीगण सं 1 से 12 अजीमखां के वारिसान है । खातेदार भंवरूखां पुत्र अबरूखां का भी देंहांत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सायराबानो, इस्लामखां, मेाबिनाबानो, मदीनाबानो , सबीनाबानो, नजमाबानो, रूकियाबानो है। खेत की जमाबंदी संवत 2067 से 70 की प्रति दावा हाजा के साथ सलग्न है। यह कि कृषि भूमि ख न 303/211 तादादीद 12 बीघा 3 बि वा रोही मौजा खारिया मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 64.47 हिस्सा भूमि खातेदारी एवं कब्जा का त की है तथा भोश भूमि 178.53 हिरसा भूमि हासमअलीखां पुत्र करीमखां के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है । खातेदार हासमअलीखां का देंहांत हेा चुका है उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की स्थित है मगर मौके पर पुराने समय से ही उपरोक्त दोनो खसरो की भूमि का मैाके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके मुताबिक खेत ख न 309/210 तादादी 41 बीघा 08 बिश्वा रोही खारिया में वादीगण एवं प्रतिवादी आमीनखां पुत्र अलीमखां के 290.79 हिस्सा भूमि पुर्वी तरफ की है तथा इसी प्रकार से ख न 303/211 तादादी 12 बीघा 3 बि वा रोही खारिया में वादीगण के पश्चिमी सींव की तरफ 64.47 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसी प्रकार से मैाके पर वादीगण एव प्रतिवादी आमीनखां पुत्र अलीमखां अपना अलग हिस्सा मौके पर काश्त करते आ रहे है जिसकी अलग सींव पुराने समय से बनी हुई है। यह कि खाता शामिल मे होने से मौके पर काश्त वा लूंग पाला आदि को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हेा गया है कि मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने हिस्से का अलग खाता वा लगान कायम करवाए जिसके लिए दावा पेश किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कहा वा कहलवाया कि साथ मे चलकर भूमि का मौके के मुताबिक विभाजन करवा देवें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे वा आखिर दिनांक 05.08.2014 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया

यह कि दावा डिग्री होने की सूरत मे राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टियां तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है इसलिए राजस्थान सरकार को दावा मे तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है मगर दावा मे राज्य सरकार के हितो पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोश नही चाहा गया है इसलिए [illegible] करने से पुर्व धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस दिए जाने की आव [illegible] सकता नही है [illegible]
यह कि निवास स्थान फैरीकेन [illegible] के अधिकारक्षेत्र मे स्थित है इसलिए अदालतवाला [illegible] अधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अंदर मि[illegible] प्रस्तुत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगन नीचे लिखे अनुसार डिग्री फरमाया जावे :–

(क) जरिये डिग्री कृषि भूमि विभाजन कृषि भूमि खसरा संख्या 309/210 तादादी 41 बीघा 8 बि वा वाके रोही खारिया मे वादीगण वा प्रतिवादी आमीनखां पुत्र अलीमखां के 290.79 हिस्सा की भूमि जेा बंटवारा के मुताबिक पुर्वी तरफ की है एवं ख न 303/211 तादादी 12 बीघा 3 बि वा रोही मौजा खारिया मे वादीगण एवं प्रतिवादी व प्रतिवादी आमीनखां पुत्र अलीमखांके 64.47 हिस्सा पश्चिमी तरफ का खाता वा लगान कायम करवाया जावें एवं तदअनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावें।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोश जो हितकर वादी हो या हो जावे वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी द्वारा पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की जरिए तलबी की गई। प्रतिवादी सं 1 वा 4 से 12 की ओर से अधिवक्ता अरविन्द मिश्रा हाजिर आए प्रतिवादी सं 24 से 25 की ओर से अधिवक्ता रघुनंदन सोनी उपस्थित हुए एवं तहसीलदार चूरू की ओर से पैरोकार राज हाजिर आए। एवं हासमखां के वारिसान की ओर से अधिवक्ता नंदराम राहड उपिस्थत हुए वा वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामिल होने के पश्चात हाजिर नही आये न्यायालय मे बार बार आवाजे लगायी जाने पर भी उपस्थित नही हुए । बावजूद तामील बिना कोई कारण के अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही की गई एवं वादी ने दावा के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

1. नकल जमाबंदी खसरा संख्या 303/211 वा खसरा संख्या 309/210 रोही खारिया तहसील चूरू सवंत 2067 से 2070
2. नकल नक्शा एक्स उपरोक्त खसरा
3. नजरी नक्शा अनेक्चर क

जिसके पश्चात दिनांक 16.09.2015 को प्रतिवादी सं 1 वा 4 से 12 की ओर से अधिवक्ता अरविन्द मिश्रा की ओर से जवाबदावा/इकबालदावा प्रस्तुत किया गया जो मद सं 1 अर्जीदावा स्वीकारहै मद सं 2 अर्जीदावा के तथ्य स्वीकार है, मद सं 3 अर्जीदावा के तथ्य स्वीकार है, मद सं 4 अर्जीदावा के बाबत आपत्ति नही है, मद सं 5 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है, मद सं 6 अर्जीदावा के तथ्यो से हम प्रतिवादीगण का संबंध नही है मद सं 7 अर्जीदावा स्वीकार है, अंतिम मद इस्तदूआ वादीगण मय उपमदात क हम प्रतिवादीगण को स्वीकार है दावा वादीगण डिग्री किया जाता है तेा हमे आपत्ति नही है। आदि तथ्य अंकित कर दावा वादी स्वीकार कर डिग्री करने का इकबालदावा प्रस्तुत किया ।

प्रतिवादीगण हासमखां के वारिसान सायराबानो, शौकतखां, एवं सतारखां की ओर से दिनांक 07.04.2015 को जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है

दावा की मद सं 1 मे लिखे तथ्य तोड मरोड कर अंकित होने से अस्वीकार है दावा में अंकित खेत खसरा रोही खारिया तहसील चूरू जिसके पुराना खसरा संख्या 152 तादादी 42 बीघाके खातेदार कब्जा का त संवत 2012 से लेकर लगातार आज तक प्रतिवादीगण का मौके पर पुर्वजों हासमखां [illegible] कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है ।राजस्व अभिलेख मे [illegible] हिस्सा ख न 309/210 की कृशि भूमि प्रतिवादीगण की है परन्तु [illegible] पुत्र अन्नुखां के नाम से गलतरूप से बिना [illegible] दर्ज है अजीमखां के वारिसान यासीन वा यासीनखां के वारिसान प्रतिवादीगण सं 1 ता 12 का कोई कब्जा काश्त नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है ऐसी स्थिती मे हम ख न 309/210 की 41 बीघा 8 बिश्वा मे 123.21 हिस्सा अपने पुर्वज हासमखां के जीवनकाल मे ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

मद सं 2 में अंकित तथ्य सही नही है ख न 303/211 तादादी 12 बीघा 3 बि वा वाके रोही खारियो जो संयुक्त रूप से वादीगण एव हम प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं राजस्व अभिलेख मे दर्ज चली आ रही है।

यह कि वादपत्र की मद से 3 मैं जो तथ्य दर्ज किये गये है वो तोड़ मरोड़ कर वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वादगत कृषि भूमि ख. नं. 309/210 तादादी 4। बीघा 8 विस्वा वाकै रोही खारिया की भूमि में से वादीगण एवम् प्रतिवादीगण सं. 22 आमीन मौके पर पश्चिमी तरफ की 290.79 हिस्सा की भूमि का त करते है तथा ख. नं. 303/211 तादादी 12 बीघा 3 विस्वा वाकै रोही खारिया मैं से अगुणी तरफ की 64.47 हिस्सा काश्त करते है प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 के कब्जे काश्त व खातेदारी ख. नं. 309/210 में से 123.21 हिस्सा पूर्व तरफ का तथा ख. नं. 303/211 तादादी 12 बीघा 3 विस्वा मे से 178.53 कित्ता पश्चिमी तरफ का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं: 1ता 12 का मौके पर कोई कब्जा काश्त वादगत कृषि भूमि पर नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद सदभाविक तथ्यों पर नं होकर बनावटी तथ्यों के आधार पर होने के कारण दावा खारिज योग्य है।

यह कि वादपत्र की मद सं. 3 में दर्ज तमाम कथन वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। ख.नं. 309/210 तादादी 4। बीघा 8 विश्वा वाले रोही खारिया मे से पश्चमी तरफ की 290.79 हिस्सा वादीगण एव प्रतिवादी से 31 के कब्जे काश्त में है तथा उक्त खेत के मध्य 41.04 हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 21 से 30 के कब्जे का त मैं चली आ रही है भोश पूर्वी तरफ का 127.21 हिस्सा पर कब्जा काश्त मौके पर हासमखां के जीवनकाल से संवत् 2012 से लेकर आज तक प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 का मौके पर चला आ रहा है। प्रतिवादी सं । ता 12 का कोई कब्जा काश्त नहीं है राजस्व अभिलेख मैं बिना कब्जा व बिना अधिकार के गलत रूप से 123.21 विश्वा की खातेदारी अजीमखां के नाम दर्ज है जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है खेत ख.नं. 303/211 की 12 बीघा 3 विश्वा कृषि भूमि वाकै रोही खारिया में 178.53 हिस्सा पश्चिमी तरफ की कब्जा का त प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 का मौके पर बतौर खातेदार चला आ रहा है पूर्वी तरफ की 64.47 हिस्सा वादीगण एव प्रतिवादी सं. 31 का मौके पर है

यह कि वादपत्र की मद सं. 4 मैं तमाम कथन वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। खेत ख न. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 बि वा वाकै रोही खारिया में प्रतिवादीगण सं. । ता 12 के पूर्वज अजीमखा के नाम 123.21 बीघा की खातेदारी आधारहीन व गलतरूप से दर्ज की गई है वास्तविकता में वास्तविक कब्जा व काश्त बतौर खातेदार प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 है प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 के पिता हासमखां का कब्जा काश्त संवत् 2012 से चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जा का त बतौर खातेदार के होने से प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 अपने नाम से खातेवारी घोषित करवाने के कानूनन हकदार है ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

यह कि वादपत्र की मद सं. 5 मैं [illegible] के विपरीत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वादीगण को वादकारण [illegible] है इसलिए दावा मय खर्चा खारिज योग्य है।

यह कि वादपत्र की मद सं 6 मैं दर्ज तमाम कथन [illegible]विकता के विपरीत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। पक्षकारों का निवास स्थान [illegible] वादगत कृशि भूमि जो माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित जरूर है परन्तु धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा भूमि धारक तहसीलदार के खिलाफ कानूनन चलने योग्य नहीं है।

यह कि वादपत्र की मद से 7 मैं दर्ज अनुतोष क, ख, ग वादीगण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है दावा मय खर्चा बारिज योग्य है।

काउन्टर क्लैम प्रतिदावा

यह कि खेत गत खसरा नम्बर 152 जिसके हाल ख नं. 309/210 तादादी 4। बीघा 8 बि वा वाके रोही खारिया तहसील चूरू में प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 के पति व पिता हासमखां का 1/2 हिस्सा पर कब्जा का बतौर खातेदार संवत् 2012 से मौके पर चला आ रहा है प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 अपने पूर्वज हासमखां के जीवनकाल से ही हासमखां के साथ बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर 61 साल से चले आ रहे है जो प्रतिवादीगण सः। ता 12 कै पूर्वज की जो खातेदारी 1/3 हिस्सा अजीमखां थी वह अजीमखां को बिक्री कर दी गई ऐसी स्थिति में खेत ख.नं. 309/210 की 41 बीघा 08 विस्था की कृषि भूमि में 123.21 हिस्सा की खातेदारी अजीमखां के नाम गलत एव बिना आधार बिना कब्जा के होने तथा प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 का कब्जा काश्त बतौर खातेदार संवत् 2012 से लेकर आज तक हासमखां के जीवनकाल से चले होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 अपने नाम है खातेदारी घोशित करवाने के कानूनन हकदार है जिसके लिये यह प्रतिवाद प्रस्तुत है।

यह कि खेत ख.नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विश्वा वाके रोही खारिया तहसील चूरू के कुल रकबा में से 1/6 हिस्सा पूर्वी तरफ पर कब्जा काशत बतौर खातेदारी के हासमखां के नाम राजस्व अभिलेख मे सालाना गिरदावरी संवत् 2012 से लेकर 2033 तक की चली आ रही है तथा मौके पर कब्जा व काश्त भौतिक रूप से प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 का आज भी मौजूद है अजीमखां के नाम गलतरूप से खांतेदारी जो चली आ रही है उसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है क्योकि मौके पर कब्जा व काश्त अजीमखां एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 12 का नहीं है न पहले रहा है बिना आधार के गलत रूप से राजस्व अभिलेख में हासमखां के कब्जे काश्त की कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 जो कि अपने पूर्वज हासमखों के जीवनकाल से 61 सालो से 1/6 हिस्सा भूमि पर काबिज बतौर काश्तकार व खातेदार होने की सूरत में प्रतिवादी गण सं. 13 से 20 अपने नाम से खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है तथा काबिज व काश्तकार होने की सूरत में खातेदार घोषित किया जावे।

यह कि वादगत खेत ख.नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विश्वा वाकै रोही खारिया की कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा यानि 123.21 हिस्सा रकबा की पूर्वी तरफ प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कब्जा का त मौके पर बतौर खातेदार संवत् 2012 से लेकर आज तक अपने पूर्वज हासमखा के जीवनकाल से चला आ रहा है। वादीगण प्रतिवादीगण सः। ता 12 तथा प्रतिवादीगण सं. 21 से 31 जो प्रतिवादीगण सं. 13 से 16 को मौके से बेदखल करने पर आमदा है तथा ऐलानिया धमकी दिनाक 20.2.2015 को दी गई है जिसकी बाबत प्रतिदावाकर्ता प्रतिवादीगण सं. 13,14 वा 16 ने वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 12 एवं 21 से 31 को समझाने पर वे नहीं माने है और इन्कार हो गये है ।

यह कि वादगत कृषि भूमि जो ख नं 303/211 तादादी 12 बीघा 3 विश्वा वाके रोही खारिया में से 178.53 हिस्सा की कृशि भूमि पश्चिमी तरफ की प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 मौके पर काश्त करते है त[illegible] वादीगण एव प्रतिवादी सं. 3। काश्त करते है खेत ख न. 309/210 ता[illegible] 4[illegible] घा 8 विश्वा वाके रोही खारिया मौके पर कब्जा का पूर्वी साई[illegible] 3 से 20 के कब्जे का त बतौर खातेदारी चली [illegible] मध्य बीच मैं प्रतिवादीगण सं. 21 से 30 के कब्जे काश्त मैं है तथा पश्चिमी त[illegible] की 290.79 हिस्सा की वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 31 है कब्जे का त में है। उक्त लिखे अनुसार उक्त वादगत कृषि भूमियों का विभाजन किया जावे जिसके लिये यह प्रतिदावा जो की प्रतिवादीगण सं. 13 से 16 की और से प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादीगण सं० 13,14,16 द्वारा अजीमखां के वारिसान प्रतिवादीगण सः 1 ता 12 को वादगत कृषि भूमि ख न 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विश्वा वाके रोही खारिया में 1/6 हिस्सा यानि 123.21 हिस्सा की खातेदारी नाम करवाने को दिनाक 20.2.15 को कहा गया व कहलवाया गया तो दिनाक 20–2–15 को साफतौर पर इन्कार हो गये वा प्रतिदावा का आधार 61 साल से कब्जा काश्त बतौर खातेदार होने से तथा प्रतिवाद कारण उक्त दिनाक 20–2–15 को जबरन कब्जा करने की धमकी देने व सम्झाने पर भी नहीं मानने से प्राप्त है।

यह कि प्रतिवादीगण सं. 13,14,16 का यह प्रतिदावा । काउन्टर क्लैम अन्दर मियाद व उचित कोर्टफीस पर तथा पक्षकारी का निवास स्थान व वादगत कृशि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से यह प्रतिदावां काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने प्रस्तुत है जो नीचे लिखे अनुसार डिक्री की जावें।

क प्रतिवादीगण से 13 से 20 को खेत खसरा नम्बर 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विस्वा वाले रोही खारिया तहसील चूरू के रकबा में से 123.21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर राजस्व अभिलेख से प्रतिवादीगण सः। से 12 के पूर्वज अजीमखां का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं. 13 से 20 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

जरिए चिर स्थाई निशेधाज्ञा के वादीगण एवम् प्रतिवादीगण सः । ता 12 एवम् 21 से 31 को वर्जित किया जावे कि प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 के कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भूमि ख. नं. 309/210 तादादी 4। बीघा 8 विश्वा वाके रोही खारिया में से पूर्वी साइड की 123.21 हिस्सा से व ख.नं. 303/211 तादादी 12 बीघा 2 विस्वा वाले रोही खारिया मे से पश्चिमी तरफ की 178.53 हिस्सा की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मैं बाधा उत्पन्न न करें और न ही बेदखल करें,

वादगत कृषि भूमि ख.नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विस्वा में से पूर्वी तरफ की 123.21 हिस्सा व व.नं. 303/211 तादादी 12 बीघा 3 विस्वा वाके रोही खारिया की कृषि भूमि में से 178.53 हिस्सा पश्चिमी तरफ का जो प्रतिवादीगण सं. 13 से 20 का अलग बिभाजित कर अलग खाता विभाजित किया जा कर अलग लगान कायम किया जावे ।

जिसका जवाब वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता दिंनाक 02.11.2015 को प्रस्तुत किया गया था जो नीचे लिखे अनुसार है

मद से । जबाबदावा सर्वथा गलत लिखी गया है इसलिए स्वीकार नहीं है, अन्वीकार किया जाता है। इस मद में खेत ख. नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विस्वा वाके रोही खारिया पर हासमखां के जीवनकाल से 1/6 हिस्सा पर कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार प्रतिवादीगण से 13 से 20 का होना सर्वथा गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि इस कृषि भूमि पर हासमखां अथवा उसके वारितान का कोई हक अधिकार या कब्जा काश्त खातेदारी कभी भी नही रहा है तमाम तथ्य भ्रमित करने के लिए गलत लिखे गए है।

मद से 2 जबाबदावा बाबत वादीगण को कोई आपत्ति नही है

मद सं 3 जबाबदावा मैं तथ्य मौके की स्थिति [illegible] गलत लिखे गए है इसलिए स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। [illegible] 309/210 तादादी 41 बीघा 8 बि वा में 190–[illegible] का त वादीगण व प्रतिवादी का होना गलत लिखा गया है तथा इस भूमि पर पूर्वी तरफ का 127.21 वि वा हिस्सा पर प्रतिवादीगण सं 13 ते 20 का कब्जा क[illegible] होना गलत लिखा गया है। सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तथ्य यह है कि उक्त खसरा की भूमि पर प्रतिवादीगज के 13 से 20 की कोई खातेदारी नहीं रही है न ही उनका कब्जा काश्त है सही तथ्य यह भी है कि ख स 309/210 के पूर्वी तरफ की 290.79 हिस्सा भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण से 31 का कब्जा काश्त है तथा मध्य में प्रतिवादीगज से 1 ता 12 का कब्जा काश्त है तथा पश्चिमी तरफ की भूमि पर प्रतिवादीगण से 21 से 30 का कब्जा काश्त सदामत से का आ रहा है। इस मद मैं खेत ख न 303/211 की 12 वीथा 3 वि वा भूमि पर 178.53 हिस्सा पश्चिमी तरफ की कब्जा काश्त प्रतिवादीगण से 13 से 20 की होना बिलकुल गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि पश्विमी तरफ की भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी से 31 का पुराने समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है संवत् 2012 से ख.नं. 309/210 पर प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कब्जा काश्त होना सर्वथा गलत लिखा गया है जमाबंदी संवत् 2012 की प्रमाणित प्रति जबाब के साथ पेश की जा रही है।

मद सं 3 जबाबदावा के तथ्य बिल्कुल गलत लिखे गए है जो स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किए जाते है। खेत ख नं. 309/210 पर प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कोई खातेदारी अधिकार कभी नहीं रहा है न ही इस भूमि के किसी भी भू भाग पर इनका कब्जा का त या हक – अधिकार ही रहा है प्रतिवादीगज से 13 से 20 गलत तथ्य दर्ज कर भ्रमित करने के लिए झूठे कथन पेश किए है। बाकी तमाम तथ्यो का जबाब उपन की मद से 3 मैं दिया जा चुका है।

मद सं 4 जबाबदावा के तथ्य बिल्कुल गलत व आधारहीन दर्ज किए गए है इसलिए अस्वीकार किया जाता है। खेत ख. नं. 309/210 पर हासमखां या उसके वारिसान का बतौर खातेदार कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। न ही गिरदावरी है. 2012 या जमाबंदी संवत् 2012 या इससे पूर्व के किसी दस्तावेज मैं. हासमखाँ के नाम का कही अंकन है। सही तथ्य यह है कि संवत् 2016 के मैं एकबार हासमखां को काश्त के लिए हिस्से पर जमीन दी गई थी जो मात्र एक साल के लिए ही थी बाद में हासम का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त कभी नही रहा था। प्रतिवादीगज से 12 के पूर्वज अजीमखाँ इस भूमि के 1/2 हिस्सा के बन्दोबस्त खातेदारी काश्तकार रहे है तथा अब वर्तमान मैं 123.21 हिस्सा भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण से । से 12 है। प्रतिवादीगग से 13 से 20 का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही रहा है न ही वे इस भूमि मैं खातेदारी अधिकार घोशित कराने के अधिकारी है।

मद से. 5 जर्जीदावा बिलकुल गलत लिखा गया है इसलिए स्वीकार नही अस्वीकार किया जाता है वादगत कृषि भूपि के वादीगण काबिज काश्तकार है इसलिए विभाजन के लिए वादीगण को हर समय अधिकार प्राप्त है जिसका अंकन अर्जीदावा मैं है।

मद सं 6 जबाब मैं धारा 30 सी पी सी का नोटिस नही दिर जाने का उजर गलत लिखा गया है। यह उजर सरकार ही उठा सकती है तथा विभाजन के दावा मैं राज्य सरकार को कोई क्षति नहीं होती है इरलिए फोरमल पक्षकार होने के कारण धारा 80 सी. पी. सी. के नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

मद सं 7 जबाब भी गलत लिंखा गया है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के लिए सक्षम है जिसे प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है इसलिए दावा डिग्री किए जाने योग्य है।

मद से 8 जबाब काउन्टरक्लेम के तथ्य बिल्कुल गलत आधारहीन व मिथ्या लिखे गए है जो स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किया जाता है ... ती कानूनी आपति यह है कि प्रतिवादीगण से 1 ते 12 के विरुद्ध प्रतिवादी ... ने प्रतिदावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है प्रति– दावा ... के लिए पेश किया जा सकता है दुसरा यह है कि संवत् 2012 ... पूर्व का कब्जा काश्त का कोई रिकार्ड प्रतिवादीगज से 13 से 20 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति मे उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादीगण कानून की किस धारा व प्रावधान के तहत खातेदारी चाहते है कही भी स्पष्ट नही किया है इस भूमि पर हासमखा अथवा उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है इसलिए प्रतिवादीगण से. 13,14 व 16 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम गैरकानूनी व गलत तथ्यो पर है शेष तथ्यो का जबाब विशेष कत्थन में अंकित किए जायेगे ।

मद से. 9 प्रतिदावा के तमाम तथ्य गलत लिखे होने के कारण स्वीकार नही है अस्वीकार किया जाता है। इस मद मैं संवत् 2012 से 2033 तक हासमखा तथा उसके वारिसान का नाम रिकार्ड में दर्ज होने का तथ्य बिल्कुल गलत लिखा गया है अजीमखा के नाम की इस भूमि मैं खातैदारी संवत् 2010 के पूर्व से ही अभी तक चली आ रही है प्रतिवादीगण है. 13 से 20 का इस भूमि पर भौतिक कब्जा नही है न ही भोतिक कब्जे के आधार पर खातेदारी अर्जित होने का कानून में कोई प्रावधान है बाकी तमाम तथ्य बेबुनियाद व गलत लिखे होने के कारण अस्वीकार किये जाते है।

मद सं 10 प्रतिदावा के तमाम तथ्य गलत व असत्य होने के कारण वादीगज को स्वीकार नही है, अस्वीकार किया जाता है इस मद मैं खेत ख न 309/210 रोही खारिया की कृषि भूमि मैं 1/6 हिस्सा या 123.21 हिस्सा रकबा की पूर्वी तरफ प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कब्जा काश्त सवत् 2012 से लेकर आज तक कला आना बिल्कुल गलत लिखा गया है इस भूमि मैं इन प्रति वादीगण का कोई कब्जा काश्त या हक अधिकार नही रहा है इसलिए इन – प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा बेदखल करने की धमकी देना अस्वभाविक है इस भूमि पर 61 साल से प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कब्जा का त होना भी गलत लिखा गया है इनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 13 ते 20. वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार ही नहीं है इसलिए ये किसी भी प्रकार की डिक्री वादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

मद सं 11 प्रतिदावा के तथ्य बिल्कुल गलत व मौके की स्थिति के विपरीत लिखे गए है। खेत ख. सं. 303/211 वाके रोही खारिया में से पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण वादीगण द्वारा मौके पर का त करना व पूर्वी साईड करे मैं प्रतिवादीगन से 13 से 20 का कब्जा होना गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि परिचमी तरफ की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं 31 के कब्जे का त मैं है तथा पूर्वी तरफ की भूमि प्रतिवादी प्रतिवादी 13 से 20 के कब्जे का त मैं है इसके अलावा ख न दृ 309/210 की 41 बीघा 8 विश्वा भूमि पर प्रतिवादी से 13 से 20 का कोई कब्जा का त या हक अधिकार नहीं है इसलिए इनको वादगत इस भूमि का विभाजन करवाने का कोई अधिकार नही है। प्रतिदावा खारिज किए जाने के काबित हैं।

मद से 12 प्रतिदावा के तमाम तथ्य कपोल कल्पित व निराधार झूठे लिखे होने के कारण स्वीकार नही है, अस्वीकार किया जाता है खेत ख .नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 8 विस्वा रोही खारिया में 1/6 हिस्सा की खातेदारी नाम करवाने को दिनाक 20.2.15 को अथवा अन्य तिथि को कहने का तथ्य प्रतिदावा का आधार बनाने के लिए गलत लिखे गए है। प्रतिवादीगणं से 13 से 20 को वादाधार अथवा वादकारण प्राप्त नहीं है क्योकि इस भूमि से प्रतिवादीगण से 13 से 20 का कोई संबंध सरोकार नहीं है।

मद से 13 प्रतिदावा न्यायालय हाजा के श्रवनाधिकार का नही है क्योकि प्रतिवादीगण सं 1 ता 12 की खातेदारी भूमि के बाबत प्रतिदावा पेश किया गया है कानूनन प्रतिवादी अपने सहप्रतिवादीगण के प्रति [illegible] यह प्रतिदावा खारिज किए जाने योग्य है।

अंन्तिम मद बिना नम्बरी प्रतिदा[illegible] को स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किया जाता है प्रति[illegible] 16 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरत

यह कि प्रतिवादीगण सं 13,14 व 16 ने प्रतिवादी नें प्रतिवादी सं 1 से 12 की खातेदारी भूमि के बाबत खातेदारी घोशित किए जाने हेतु यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है कानूनन प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध ही अनुतोष के लिए प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकते है इस प्रकार से यह प्रतिदावा मय खर्चा खारिज किए जाने के काबिल है।

इस प्रकार से प्रतिवादीगण सं 13, 14, वा 16 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब प्रतिवादीगण सं 1, 4 से 12 की ओर से भी अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

प्रतिदावा की मद 8 उक्त प्रतिवादीगण द्वारा गलत लिखी गई है इसलिए स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। इस मद मैं गत ख.नं. 152 हाल ख.नं. 309/210 तादादी 41 बीघा 3 बि वा रोही खारिया के 1/6 हिस्से पर हासमखां का कब्जा काश्त तंवत् 2012 से होना सर्वधा गलत लिखा गया है। 6। साल से इन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त लगातार होना भी गलत लिखा है तथा इस मद में अजीमखां के नाम 123.21 हिस्सा की खातेदारी गलत दर्ज होना भी गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि उपरोक्त कृषि भूमि पर हासमखाँ अथवा उसके वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है प्रतिवादीगज से 13 ते 20 इस भूमि की खातेदारी – घोषित कराने के कतई अधिकारी नहीं है प्रतिदाावा लालचवश झूठा प्रस्तुत किया गया है वादगत भूमि पर हम प्रतिवादीगण का अपने हिस्से खातेदारी के अनुरूप नौके पर चला आ रहा है।

मद से 9 प्रतिदावा के तथ्य भी सर्वथा गलत व मनगढन्त लिखे गए है इसलिए स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किया जाता है इस मद में वादगत कृषि भूमि के 1/6 हिस्सा पूर्वी तरफ हासमखां व उसके वारिसानो का कब्जा का त होना सर्वथा गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि पूर्वी तरफ की भूमि पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी से 31 का का जा रहा है। इसके अलावा संवत् 2012 में गिरदावरियो में हासमखां का कब्जा का त अंकित होना भी गलत लिखा गया है इसके अलावा गिरदावरी के आधार पर खातेदार अधिकार सृजित नही होते है इस मद अजीमखां व उसके वारिसान का वादगत कृषि भूमि पर कब्जा काश्त न होना भी गलत लिखा गया है। प्रतिवादीगण से 13 ते 20 किसी भी कानून के तहत वादगत कृषि भूमि पर खातेदार घोशित किए जाने के अधिकारी नहीं है।

मद सं 10 प्रतिदावा के तमान तथ्य गलत लिखे गए है इसलिए – स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किए जाते है। इस पद मैं उपर की मदो मैं अंकित तथ्यो की पुनरावृति मात्र है जिनका जवाब दिया जा चुका है इस मद मैं दिनाक 20.2.2015 को प्रतिदावाकर्ताओ को वादीगंण एंव भोश प्रतिवादी द्वारा बेदखल करने का तथ्य गलत है क्योकि इनका इस भूमि से कोई लेनादेना नहीं है व न ही इनका कब्जा कारत है। प्रतिवादीगण है 13 से 20 वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार ही नहीं है इसलिए वे स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति के कतई अधिकारी नहीं है।

प्रतिदावा की मद से 11 के तथ्य सर्वथा गलत लिखे गए है इसतिर स्वीकार नही है अस्वीकार किया जाता है। इस मद में ख न 303/211 तादादी 12 बीघा 3 बि वा रोही खारिया में से 178.53 हिस्सा की कृषि भूमि पश्चिमी तरफ की प्रतिवादीगण से 13 ते 20 के हिस्से व काश्त मैं होना गलत लिखा गया है वही तथ्य यह है कि पश्चिमी तरफ की 64.47 हिस्सा भूमि वादीगण काश्त करते है तथा प्रतिवादीगण से 13 से 20 का हिस्सा पूर्वी तरफ का है [illegible] है। इसके अलावा ख नं. 309/210 की भूमि में प्रतिवादी से 13 से [illegible] कोई हक हिस्सा या कब्जा काश्त नहीं है इसलिए पूर्वी साइड [illegible] 123.79 हिस्सा [illegible] कब्जा काश्त होने का तथ्य बिल्कुल गलत लिखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मद से 12 प्रतिदावा मैं तथ्य गलत लिखे गए है इसलिए हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नही है, अस्वीकार किया जाता है इस मद के तमाम तथ्य मनगढन्त व दावा का अधार बनाने के लिए जूठे लिखे गए है ख नं. 309/210 के बाबत प्रतिवादीगण से 13 से 20 को वाद आधार वादकारण प्राप्त नहीं है क्योकि इस कृषि भूमि पर न तो इनकी खातेदारी है न ही इनका किसी भूभाग पर कब्जा काश्त है।

मद से. 13 प्रतिदावा के तथ्य स्वीकार नहीं है कानूनन प्रतिवादीगज सहप्रतिवादीगन के किद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं कर सकता केवन वादी के विरुद्ध ही कर सकता है इसलिए प्रतिवादीगण का यह प्रतिदावा कने योग्य नही है और आरिज योग्य है।

अंतिम मदा इस्तदुआ प्रतिवादीगण स्वीकार नही है अस्वीकार किया जाता है उपमदात क से ड मैं चाहा गया अनुतोश प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रतिदावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

ततपश्चात् प्रतिवादी संख्या 22 व 28 को उचित अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.03.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना प्रस्तुत कर जवाब बंद किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर दिनांक 24.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 22 व 28 का जवाब बंद किया गया।

जिसके पश्चात दिनांक 14.09.2016 को प्रतिवादी सं 1 वा 4 ता 12 के अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6 वा धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नीचे लिखे अनुसार है

उपरोक्त अनवान के दावा मे आज की तारीख पेशी वास्ते सुनवाई हेतु नियत शुदा है। इस दावा में प्रतिवादीगण से 13, 14 व 16 की ओर से वादी के दावा की जबाव दावा प्रस्तुत करने के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जिस प्रतिदावा मे इन प्रतिवादीगण ने वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण सं 1, 4 ता 12 के खिलाफ भी प्रतिदावा प्रस्तुत किया है और उसमे इन प्रतिवादीगण सं 1, 4 ता 12 के विरूद्ध यह अनुतोष चाहा है कि वादगत भूमि के अभिलेख में प्रतिवादीगण से 1 से 12 के पुर्वज अजीमखां का नाम हटाया जाकर उनके विरूद्ध चिरस्थायी निशेधाज्ञा की डिग्री पारीत की जावें एवं इन प्रतिवादी गण से प्रतिदावा का खर्चा दिलवाया जाये। जबकि कानून का यह सुथापित सिद्धान्त है कि वादी के उसी दावा का प्रतिवादी को वादी के खिलाफ प्रतिदावा प्रस्तुत करने का अधिकार है परन्तु उसी दावा के प्रतिवादी को उसी दावा के अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिदावा पेश करने का कानून में अधिकार नहीं हो परन्तु प्रतिवादीगण सं को 13, 14 व 16 2 विरूध प्रस्तुत किया है। यह प्रतिदावा कानून के अनुसार अन प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत नही हो सकता और प्रतिवादीगण चाहे तो अलग से वाद प्रस्तुत कर सकते है।

जिसका जवाब दिनांक को 19.04.2017 को प्रतिवादीगण सं 13, 14, 16 की ओर से प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

यह कि प्रतिवादीगण से. 1 ता 12 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मैं दर्ज तमाम कथन वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादीगण सं. 13,14, व 16 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा कानून सम्मत है वादी द्वारा विभाजन बाबत विशेष हिस्से के सम्बन्ध में किया गया है प्रतिवादीगण सं. 13, 14 व 16 द्वारा काउन्टर क्लेम कानूनन विभाजन के दावा में प्रस्तुत करने बाबत कानूनन हकदार है।

यह कि वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की चली आ रही है जिसके सम्बन्ध मैं विभाजन के दावा मैं काउन्टर क्लेम जो प्रस्तुत किया गया उसका निर्णय जो विभाजन के दावा में किया जाना कानूनन आवश्यक है ... प्रतिदावा विधि अनुरुप पेश किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादीगण सं. 13, 14 व 16 द्वारा जो कि इस दावा मैं वादी व प्रतिवादीगण सं 1 ता 12 के खिलाफ प्रतिदावा वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी के सम्बन्ध में किया गया है जिसकी बाबत कानूनन कोई बाध्यता नहीं है इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।
यह कि विभाजन के दावा मैं कानूनी रूप से प्रतिवादीगण जो वादी एंव अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अनुतोष कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है।
यह कि प्रतिवादीगण से । ता 12 द्वारा यह प्रार्थनापत्र काउन्टर क्लेम प्रस्तुत होने के 15 माह बाद इस प्रकरण को देरीना करने व नई पैचिदगिया पैदा करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र विधि विरुद्ध पेश किया गया है।

उपरोक्त जवाब प्राप्त होने पर दिनांक 15.03.2018 प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6 वा 151 की बहस सुनी गई बहस के तथ्यो का अवलोकन किया गया वा मनन किया गया दोनो पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त अदालतवाला द्वारा प्रतिवादी सं 1 वा 4 ता 12 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6 धारा 151 के पोशणीय नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया । पत्रावली कायम तनकीहात हेतु नियत की गई।
जिसके पश्चात प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6 वा 151 मे पारित निर्णय दिनांक 15.03.2018 के आदेश के विरूद्ध एक निगरानी/टी.ए./संख्या 3021/2018 जिला चूरू, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय मे अनवानी गुलाम मौहम्मद बनाम मनोहरखां आदि प्रस्तुत कि गई । उक्त पत्रावली में पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने पर दिनांक 1.1.20224 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे पक्षकारो के मध्य राजीनामा होने वा पत्रावली आगे नही चलाना चाहते है अंकित कर पत्रावली फैसल भुमार की गई । जो पत्रावली अदालत उपखंड अधिकारी चूरू को दिनांक 08.02.2024 को पत्र क्रमाक 881 दिनांक 31.1.2024 से मुल पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज की गई जिसकी सूचना अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण को दी गई।

दिनांक 18.03.2024 को वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 3 वा 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वा साथ ही आदेश 1 नियम 10(2) का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 वा 4 ता 12 की ओर से अनापति प्रस्तुत की गई वा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

जिसके पश्चात दिनांक 21.03.2024 को वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा अदालतवाला के समक्ष अपने खातेदारी कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

हम सतारखां, मुस्ताकखां, पुत्रगण स्व. हासमअली खां जाति कायमखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू के हैं वा इस समझौता पत्र (राजीनामा) के प्रथम पक्षकार है वा अदालतवाला मे जेरकार दावा में प्रतिवादीगण सं 14 से 16 है ।
एवं

मनोहरखां, लियाकतखां, आमीनखां पुत्रगण अलीमखां एवं इमरानखां, इब्राहिमखां चायल, खुशीमोहम्मद खान यूनस खान शाहरूक खान, रूकसाना बानो, नसरीन बानो, रजिया बानो, पुत्र पुत्रीया साबीर खान एवं शरीफन बानो बेवा साबीर खान जाति कामयखानी निवासी [illegible] है वा इस समझौता पत्र (राजीनामा) के द्वितीय पक्षकार है वा अ[illegible] मे जेरकार दावा में वादीगण सं 1, 3, 22, वा 2/1 से 2/[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

गुलाम मौहम्मद, हाकमअली[illegible]गीश मौहम्मद पुत्रगण यासीनखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा [illegible] चूरू के है वा इस समझौता पत्र

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(राजीनामा) के तृतीय पक्षकार है वा अदालतवाला मे जेरकार दावा में प्रतिवादीगण सं 1 से 3 है ।

के मध्य आज दिनांक 28.08.2023 को निम्नाकिंत रूप से राजीनामा निश्पादित एवं सम्पादित किया जा रहा है:–

यह कि हम प्रथम पक्षकार वा द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार के मध्य कृषि भूमि खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर एवं खसरा संख्या 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू संयुक्त खातेदारी की कृशि भूमियां है जिनको लेकर एक दावा बाबत विभाजन अदालतवाला अदालत उपखंड अधिकारी चूरू के न्यायलय मे मुकदमा संख्यां 18/2014 अनवानी मनोहरखां आदि बनाम गुलाम मौहम्मद आदि जेरकार है एवं इस दावा की एक रिविजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे जेरकार है उक्त प्रकरणों मे हम सभी पक्षकारान ने उपरोक्त प्रकरण के संबंध में राजीनामा कर लिया है क्योकि हम पक्षकारान एक ही परिवार/खानदान के सदस्यगण है एक ही गांव के निवासीगण है तथा वर्षों से साथ साथ रहते हुए अपने अपने हिस्से को अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त अंकित कृषि भूमियों का बाहमी मौखिक पारिवारिक फैसलनामा अनुसार बंटवारा हमारे पुर्वजो के समय से ही काफी वर्षो पहले ही हो चुका था उसी के मुताबिक हम सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन इस बंटवारानामा की लिखित ना होने वा पारिवारिक मनमुटाव होने से हम पक्षकारो ने दावा में मौके वा रिकार्ड की स्थिती के विपरीत जवाबदावा वा काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर दिये थे जिससे आपस में हम पक्षकारान मे विवाद की स्थिती बन गई थी इसलिए अब चुंकि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजिक व्यक्तियो के समक्ष मिल बैठ कर बुजुगो की सहमति से आपस मे राजीनामा कर लिया है ताकि उक्त भूमि के सबंध में भविश्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो एवं परिवार में स्नेह सदभाव एवं मेलजोल बना रहे । इस प्रकार से राजीनामा नीचे लिखे अनुसार निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि कृशि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर एवं खसरा संख्या 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू में से ख न 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू की पुर्व तरफ की 2.2577 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया हम प्रथम पक्षकार यानी सतारखां, मुस्ताकखां, भौंकतखां पुत्रगण स्व. हासमअली खां जाति कायमखानी निवासी चूरू प्रतिवादीगण सं 14 से 16 के हिस्सा वा पांती मे रखी गई थी जो आज भी हम प्रथम पक्षकारान के कब्जे में है जो हम पक्षकारान के कब्जा, उपयोग उपभोग मे रहेगी जिसका खाता हम पक्षकारान विभाजित करवाने के सहमति वा हर प्रकार से राजी है। एवं विभाजन हम पक्षकारान इस दावा में इसी मुताबिक करवाने के लिए यह राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है पुर्व मे इस दावा में हम प्रतिवादीगण [illegible] काउन्टर क्लेम में हम पक्षकारान कोई रिलिफ नही चाहते है उसे [illegible] इसी समझौते के मुताबिक हम विभाजन करवाना चाहते [illegible] हम पक्षकारान का विभाजन भी किया जाकर अलग खाता [illegible] करवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2. यह कि कृशि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर एवं खसरा संख्या 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू में से ख न 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू की पश्चिम तरफ की 0.8153 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया एवं खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर मे से पुर्वी तरफ की 3.6774 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया हम द्वितीय पक्षकारान यानी मनोहरखां, लियाकतखां आमीनखां पुत्रगण अलीमखां एवं इमरानखां, इब्राहिमखां चायल, खुशीमौहम्मद खान यूनस खान भाहरूक खान, रूकसाना बानो, नसरीन बानो, रजिया बानो , पुत्र पुत्रीया साबीर खान एवं भारीफन बानो बेवा साबीर खान जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू वादीगण सं 1, 3, वा 2/1 से 2/9 एवं साबीरखां के वारिसान एवं प्रतिवादी सं 31 है इसी मद के अनुसार के हिस्सा वा पांती मे रखी गई थी जो आज भी हम प्रथम पक्षकारान के कब्जे में है जो हम पक्षकारान के कब्जा, उपयोग उपभोग मे रहेगी एवं खातेदार साबीरखां पुत्र अलीमखां का देहांत दिनांक 03.12.2020 को हो चुका है जिनके वारिसारन/वादीगण सं 2/1 से 2/9 है जिनका नाम भी राजस्व रिकार्ड में इस दावा के जरिये दर्ज किया जाकर मुताबिक हिस्सा पांती विभाजन किया जावें जिसका खाता हम पक्षकारान विभाजित करवाने के सहमति वा हर प्रकार से राजी है एवं उक्त भूमि का विभाजन हम पक्षकारान इस दावा में इसी मुताबिक करवाने के लिए यह राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है इसी समझौते के मुताबिक हम विभाजन करवाना चाहते है इसलिए इस मद के मुताबिक हम पक्षकारान का विभाजन भी किया जाकर अलग खाता वा लगान कायम करवाया जावें।

3. यह कि कृशि भूमि वर्तमान खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर एवं खसरा संख्या 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू में से खसरा नंबर 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टर रोही खारिया तहसील चूरू की द्वितीय पक्षकार से हिस्सा से चिपती हुई पि चमी तरफ की 1.5581 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया हम तृतीय पक्षकार यानी गुलाम मौहम्मद, हाकमअलीखां, गौ I मौहम्मद पुत्रगण यासीनखां जाति कामयखानी निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू प्रतिवादीगण सं 1 से 3 के हिस्सा वा पांती मे रखी गई थी जो आज भी हम प्रथम पक्षकारान के कब्जे में है जो हम पक्षकारान के कब्जा, उपयोग उपभोग मे रहेगी जिसका खाता हम पक्षकारान विभाजित करवाने के सहमति वा हर प्रकार से राजी है। एवं विभाजन हम पक्षकारान इस दावा में इसी मुताबिक करवाने के लिए यह राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है इसलिए इस मद के मुताबिक हम पक्षकारान का विभाजन भी किया जाकर अलग खाता वा लगान कायम करवाया जावें।

इस प्रकार से सभी पक्षकारो ने सभी मौजिक व्यक्तियो की उपस्थिती मे अपने विवाद का निपटारा कर लिया है तथा भविष्य मे भी इसी प्रकार से विभाजन बाबत सहमत रहेगें उपरोक्त विभाजन वादी के हिस्से बाबत कोई आपत्ति हम द्वितीय पक्षकारान बाबत नही कि जावेगी वादी स्वतंत्र रहेगा की अपने हिस्से की भूमि को स्व... वे , विक्रय करें हस्तान्तरण करें,वा कनवर्जन करवावे वा अपने ... निर्माण आदि करवावे जिस बाबत हम पक्षकारान बाबत ... जाती है तो वे मिथ्या समझी जावेंगी ना ही ... एतराज आदि किया जावेंगा । हम सभी पक्षकारान इस विभाजन बाबत सदा सहमत रहेंगे यदि किसी भी पक्षकार द्वारा उपरोक्त राजीनामा के बा... आपत्ति की जाती है तो पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

संबंधित थाना या सक्षम सिविल एवं फौजदारी एवं रेवेन्यु अदालतवाला मे आवश्यक कार्यवाही दर्ज करवाकर उपरोक्त राजीनामा की पालना करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

इस प्रकार से पक्षकारो ने राजीनामा की पुस्त पर मौके काबिज नजरी नक्शा की प्रति हस्ताक्षर युक्त भी प्रस्तुत की गई ।

दिनांक 12.04.2024 को लखेन्द्र वा शाहरूख खान की ओर से रघुनंदन सोनी ने वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) का पुर्व खातेदार प्रतिवादी सं 5 से 12 की ओर से उनके हिस्सा की भूमि कय करने से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से पक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया जिसे वादी अधिवक्ता द्वारा उसी दिनांक को प्रार्थना पत्र पर अनापति करते हुए पक्षकार बनाये जाने हेतु अनापति अंकित की गई जिस पर अदालतवाला द्वारा दिनांक 06.05.2024 को अपने आदेश के जरिये लखेन्द्र वा शाहरूख को कमशः प्रतिवादी सं 24 वा 25 बनाया गया है। प्रतिवादी सं 24 वा 25 द्वारा दिनांक 15.05.2024 को प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे जवाबदावा प्रस्तुत नही करना चाहते है एवं दावा वादी डिक्री किया जाता है तेा आपत्ति नही है ।

इस प्रकार से पत्रावली का अवकलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 वा प्रतिवादी सं 24 वा 25 के अधिवक्ता ने दावा वादी राजीनामा के मुताबिक डिग्री करने हेतु निवेदन किया चुंकि सभी पक्षकारान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सहखातेदारान है तथा दावा कृषि भूमि विभाजन का है एवं पक्षकारान में राजीनामा भी हेा चुका है जिसकी ताहीद राजस्व मण्डल की पत्रावली मे अंकित तथ्य एवं पत्रावली मे प्रस्तुत राजीनामा से भी हेाती है पक्षकारो मे मध्य दिनांक 31.08.2023 को लिखित राजीनामा हेाने से वा पत्रावली पर दिनांक 15.5.2024 को प्रतिवादी सं 24 वा 25 ने प्रार्थना पत्र 151 प्रस्तुत कर भी वादीगण के दावा स्वीकार कर डिक्री करने मे सहमति जाहिर की है । उपरोक्त पत्रावली के विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादीगण वा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलेाकन किया गया । प्रकरण कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों के विभाजन एवं अलग–अलग लगान कायम करने का है। दावा में लिखित दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 वा नक्शा एक्स वा वर्तमान जमाबंदी वा उपर्युक्त खसरा दावा के साथ संलग्न राजीनामा दिनांक 31.08.2023 पक्षकारान का अवलोकन किया गया पक्षकारों की सहमति व वा राजीनामा के मुताबिक एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 19 एवं आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के मुताबिक समझौते के अनुसार दावा वादी स्वकार किया जाता है। दावा वादी स्वीकार कर कृषि भूमि ख. नं. 309/210 तादादी 10.4712 हैक्टैयर एवं खसरा संख्या 303/211 तादादी 3.0730 हैक्टेयर रोही खारिया तहसील चूरू में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 22 का खाता वा लगान ख.नं. 303/211 तादादी तादादी 3.0730 हैक्टेयर रोही खारिया तहसील चूरू के पश्चिम तरफ की 0.8153 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया एवं खसरा नम्बर 309/210 ता[illegible] में से पूर्वी तरफ की 3.6774 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया राजीनामा में स[illegible] पर चस्पा नक्शा के मुताबिक एवं प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 25 का खसरा नम्बर 309/210 तादादी 10.4712 [illegible] चूरू की वादीगण के उपर्युक्त खसरा से चिपते हुए पश्चिमी तरफ की 1.5581 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 से [illegible] का खसरा नम्बर 303/211 तादादी 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested

Al

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

0730 हैक्टेयर रोही खारिया तहसील चूरू की पूर्व तरफ की 2.2577 हैक्टेयर भूमि रोही खारिया का रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा के मुताबिक उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि उपर अंकितानुसार वादीगण वा प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर अलग खाते वा लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है। जिन खातेदारों हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत रहेगा। तहसीलदार चूरू को डिक्री व राजीनाम के संलग्न नक्शा के मुताबिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते है। राजीनामा व राजीनामा के संलग्न नक्शा भविष्य में निर्णय का भाग माना जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखंड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:17:28 IST
Reason: SelfAttested